



(20)

## “ स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश ”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xx) के अंतर्गत)

---

राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. भोपाल की स्वयं की कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। यह लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत स्वशासी निकाय है।